

[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

नई दिल्ली, तारीख 10 जुलाई, 2019

शुद्धिपत्र

सा.का.वन. (अ) .- भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.वन. 432(अ) तारीख 18 जून, 2019 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 24/2019- सीमा शुल्क (एडीडी), तारीख 18 जून, 2019 में, -

- (i) पृष्ठ 3 की पंक्ति 38 में "मिल्स" का लोप किया जाएगा;
- (ii) पृष्ठ 4 की पंक्ति 4 का लोप किया जाएगा I

[□□.□□.]

354/211/2016-□□□□□□]

(गुंजन कुमार वर्मा)  
अवर सचिव, भारत सरकार